न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
38/2018 प्रा.पत्र/2018	17.05.2018	30.04.2026
जीसीएमएस नं0—81/2018		

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री नरेश चन्द जैन पुत्र श्री कपूर मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नरेश एण्ड ब्रदर्स राजकीय हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक राज. निवासी मेन मार्केट नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक राज.। पिनकोड—304024
2—मैसर्स नरेश एण्ड ब्रदर्स राजकीय हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक राज.।
3—श्री घनश्याम दास अग्रवाल पुत्र श्री फूलचन्द प्रोपरायटर/एफ.बी.ओ. मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड—304001
4—मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड—304001
5—श्रीमति रेखा खण्डेलवाल प्रोपरायटर मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राईजेज जी—7, राजधानी कृषि उपज मण्डी, कूकरखेडा, सीकर रोड, जयपुर राज.। पिनकोड—302013
6—मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राईजेज जी—7, राजधानी कृषि उपज मण्डी, कूकरखेडा, सीकर रोड, जयपुर राज.। पिनकोड—302013
7—श्री दीपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मुनीष शर्मा नॉमिनी मैसर्स महेश वेज ऑयल्स प्रा. लि. प्रथम मंजिल सिघंवी भवन बाजार नं. 2, भीलवाड़ा राज.। पिनकोड—311001
8— मैसर्स महेश वेज ऑयल्स प्रा. लि. प्रथम मंजिल सिघंवी भवन बाजार नं. 2, भीलवाड़ा राज.। पिनकोड—311001

.........अप्रार्थीगण

जुंर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 4 श्री रोमेन्द्र गुर्जर एड.।
3—अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5 ता 8 श्री कैलाश अहलुवालिया एड.।

:—निर्णय—: दिनांक 30/4/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.02.2018 को समय 12:35 पी.एम. पर मैसर्स नरेश एण्ड ब्रदर्स राजकीय हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री नरेश चन्द जैन पुत्र श्री कपूर मल जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री नरेश चन्द जैन पुत्र श्री कपूर मल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नरेश चन्द

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जैन पुत्र श्री कपूर मल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री नरेश चन्द जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ–साथ **रिफाइंड सोयाबीन तेल एम फ्रेश ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soyabean Oil M-Fresh Brand Origional Pack)** अलग–अलग सील्ड पैक 455–455 ग्राम की 15 सील्ड पैक प्लास्टिक बोतल पेपर कार्टून में रखी हुई थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री नरेश चन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री नरेश चन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइंड सोयाबीन तेल एम फ्रेश ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soyabean Oil M-Fresh Brand Origional Pack)** जिसके बैच/लोट नं. 08/17 एवं पैकिंग की दिनांक अगस्त/2017 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 455–455 ग्राम की 4 सील्ड पैक प्लास्टिक बोतल खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल एम फ्रेश ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soyabean Oil M-Fresh Brand Origional Pack)** 455–455 ग्राम की 4 सील्ड पैक प्लास्टिक बोतल के नियमानुसार चार भाग तैयार किये तथा चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1827 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1827 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री नरेश चन्द जैन पुत्र श्री कपूर मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नरेश एण्ड ब्रदर्स राजकीय हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक का बिल पेश किया। मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द ने मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राईजेज जी–7, राजधानी कृषि उपज मण्डी, कूकरखेडा, सीकर रोड, जयपुर का खरीद बिल की छायाप्रति प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राईजेज से सम्पर्क करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स महेश वेज ऑयल्स प्रा. लि. प्रथम मंजिल सिघंवी भवन बाजार नं. 2, भीलवाड़ा के खरीद बिल की छायाप्रति प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए/18/825 दिनांक 13.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल0एस0/58/एक्ट/2018/63 दिनांक 23.02.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल एम फ्रेश ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soyabean Oil M-Fresh Brand Origional Pack) विटामिन–ए टेस्ट के नकारात्मक होने के कारण अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल एम फ्रेश ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soyabean Oil M-Fresh Brand Origional Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल एम फ्रेश ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soyabean Oil M-Fresh Brand Origional Pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 6 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 7 व 8 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0